कार्यालय उप वन संरक्षक,जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोक्सवेल फोन न.0291–2636753 ई–मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांकः एफ (125)/FCA/उवसं/2021/4900 दिनांकः 28.06.2021

निमित्तः–Manager,
Power Grid Corporation of India Limited,
765/400 KV Sub Station (Const.) Bhadla-II,
115, Nandpuri Colony, Nagaur Road,
Phalodi, Jodhpur -342301,

विषयः– Diversion of 4.95 Ha. of forest land in favour of Power Grid Fatehgarh Transmission Limited for construction of 400 KV D/C Bhadla (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line District-Jodhpur, Rajasthan. (Total Length 48.345 kms). Proposal No. FP/RJ/ TRANS /44930/2020

संदर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्रांक 8 बी/राज./04/10/2021/एफ.सी/27 दिनांक 18.06.2021 एवं आपका पत्र क्रमांक पावरग्रिड/400 कं.वी./भदला–2 भदला पी.जी./ लाइन/ 921 दिनांक 22.06.2021 के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्रांक 8 बी/राज./04/10/2021/एफ.सी/27 दिनांक 18.06.2021 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 4.95 Ha. of forest land in favour of Power Grid Fatehgarh Transmission Limited for construction of 400 KV D/C Bhadla (PG) Bhadla 2 (TWIN HTLS) Transmission Line District-Jodhpur, Rajasthan. (Total Length 48.345 kms). Proposal No. FP/RJ/ TRANS /44930/2020 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर, शेष शर्तो की भी पालना (वचन बद्धता) रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:–

बिन्दु संख्या 3:–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनविभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षैत्र के प्रस्ताव अनुसार 15 हैक्टयेर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि रूपये 42,20,000/-(अक्षरे बैयालिस लाख बीस हजार रूपये मात्र) कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त बिंदु की दर में बढोतरी होने पर राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

बिन्दु संख्या 4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.20009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV@ 4,38000 = 4.95X438000 रूपये = 21,68,100/-(अक्षरे ईक्कीस लाख अडसठ हजार एक सौ रूपये मात्र) रूपये ई–चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त बिंदु की दर में बढोतरी होने पर राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

बिन्दुसंख्या 8–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एंव 12 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 4.95X5,87,100 रूपये = 29,06,145/-(अक्षरे उनतीस लाख छः हजार एक सौ पैतालिस रूपये मात्र) कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओ के बिन्दु संख्या 1, 2, 5 से 7 एवं 9 से 23 की बिन्दुवार पालना (वचन बद्धता) सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई–चालान द्वारा ऑन लाईन जमा करवाकर चालान की प्रति पर यू.टी.आर. अंकित कर उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012–एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एंव अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में उपलब्ध करावें, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

भवदीय

(राज बिहारी मित्तल)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांकः सम/ दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

उप वन संरक्षक
जोधपुर